



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

P. O - ५५०

## EXTRAORDINARY

Km - ३०

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)

Dept - २००

PART II—Section 3—Sub-section (i)

CPB - २२०

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भीम  
३४ अगस्तसं. ४५४।  
No. 454]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

प्रभारी  
रा० न० एह०

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

सांकेतिक ६७७(अ)।—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा ९ की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती है,

अर्थात् :-

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"द्वितीय अनुसूची

(धारा ९ देखिए)

मद संख्या १ से १०, १२ से ३८ और ४० से ५१ पर खनिजों की बाबत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय, लागू रवामिस्व की दरें।

1. अगेट

विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार

2. एपेटाइट और रॉक फॉरफेट

विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार

(i) एपेटाइट

विक्रय मूल्य का ग्यारह प्रतिशत मूल्यानुसार

(ii) रॉक फॉरफेट

विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार

(क) २५% पी २ओ ५ से ऊपर

विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार

(ख) २५% पी २ ओ ५ तक

3. ऐस्बेरस्टास

विक्रय मूल्य का आठ सौ लप्पे प्रति टन

(क) क्रिसोटाइल

आठ सौ लप्पे प्रति टन

(ख) ऐम्पिबोल	पैंतालीस रूपए प्रति टन
4. बैराइट्स	विक्रय मूल्य का साढ़े पांच प्रतिशत मूल्यानुसार
5. बॉक्साइट और लैटराइट	(क) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में प्रयोग के लिए प्रेषित किए गए उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट एल्युमिनियम धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय एल्युमिनियम धातु मूल्य का 0.40 प्रतिशत ।  (ख) एल्युमिना और एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण के प्रयोग से भिन्न प्रयोग के लिए तथा निर्यात के लिए प्रेषित किए गए माल के लिए विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
6. ब्राउन इल्मेनाइट (ल्यूकायकरीन), इल्मेनाइट, रुटाइल और जिरकान	विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार
7. कैडमियम	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार
8. कैल्साइट	विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार
9. चीनी मिट्टी / काओर्ड न (जिसके अंतर्गत बाल ते, श्वेत शैल और श्वेत क्ले भी हैं )	विक्रय मूल्य का 7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(क) अपरिष्कृत	तेइस रूपए प्रति टन ।
(ख) प्रसंस्कृत (जिसके अंतर्गत धुली हुई भी हैं)	पिचासी रूपए प्रति टन ।
10. क्रोमाइट	विक्रय मूल्य का 7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार ।
11. कोयला (लिंगनाइट सहित)	*
12. ताम्र	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट ताम्र धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय ताम्र धातु मूल्य का 3.2 प्रतिशत

13. कोरंडम	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार
14. हीरा	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार
15. डोलोमाइट	पैंतालीस रुपए प्रति टन
16. फैल्सपार	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार
17. फायरक्ले (जिसके अंतर्गत प्लास्टिक, पाइप, लिथोमार्गिक और प्राकृतिक पोजोलेनिक क्ले भी हैं)	विक्रय मूल्य का बारह प्रतिशत मूल्यानुसार
18. प्लूआरेस्पार (जिसे फ्लूओराइट भी कहा जाता है)	विक्रय मूल्य का पांच प्रतिशत मूल्यानुसार।
19. गार्नेट	
(क) अपघर्षक	विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार।
(ख) रत्न (जैम)	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार।
20. स्वर्ण	
(क) प्राथमिक	उत्पादित अरेक में अत्तर्विष्ट रद्धि धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संघ मूल्य (जिसे सामान्यतः 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का डेढ़ प्रतिशत।
(ख) उपोत्पाद स्वर्ण	वास्तविक रूप से उत्पादित उपोत्पाद स्वर्ण धातु पर प्रभार्य लंदन बुलियन बाजार संघ (जिसे सामान्यतः 'लंदन मूल्य' कहा जाता है) का ढाई प्रतिशत।
21. ग्रेफाइट	
(क) 80 प्रतिशत या उससे अधिक नियत कार्बन सहित	दो सौ पच्चीस रुपए प्रति टन।
(ख) 40 प्रतिशत या उससे	एक सौ तीस रुपए प्रति टन।

अधिक नियत कार्बन सहित  
किंतु 80 प्रतिशत से कम  
नियत कार्बन सहित

(ग) 40 प्रतिशत से कम                  पचास रूपए प्रति टन ।  
नियत कार्बन सहित

22. जिप्सम                  विक्रय मूल्य का बीस प्रतिशत मूल्यानुसार

23. लौह अयस्क

( i ) लम्पस

(क) जिसमें 65 प्रतिशत या  
उससे अधिक लौह तत्व हो ।

(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या  
उससे अधिक किंतु 65  
प्रतिशत से कम लौह तत्व  
हो ।

(ग) जिसमें 62 प्रतिशत से  
कम लौह तत्व हो ।

( ii ) चूर्ण

(क) जिसमें 65 प्रतिशत या  
उससे अधिक लौह तत्व हो ।

(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या  
उससे अधिक किंतु 65  
प्रतिशत से कम लोहा तत्व  
हो ।

(ग) जिसमें 62 प्रतिशत से  
कम लौह तत्व हो ।

( iii ) निम्न ग्रेड अयस्क  
जिसमें 40 प्रतिशत या उससे  
कम लौह तत्व हो, के  
सञ्जीकरण और/ अथवा

### सांद्रण द्वारा निर्मित सांद्रण

24. कायनाइट	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
25. सीसा	उत्पादित अयरक में अंतर्विष्ट सीसा धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय सीसा धातु मूल्य का पांच प्रतिशत ।
26. चूना पथर	
(क) एल.डी. ग्रेड (जिसमें सिलिका की मात्रा डेढ़ प्रतिशत से कम है)	पचपन रूपए प्रति टन ।
(ख) अन्य	पैंतालीस रूपए प्रति टन ।
27. चूना कंकर	पैंतालीस रूपए प्रति टन ।
28. लाइमशैल	पैंतालीस रूपए प्रति टन ।
29. मैग्नेसाइट	विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार ।
30. मैग्नीज अयरक	
(क) सभी ग्रेडों का अयरक	विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ख) सांद्रण	विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत मूल्यानुसार ।
31. अपरिष्कृत अभ्रक, अपशिष्ट अभ्रक और कतरन अभ्रक	विक्रय मूल्य का चार प्रतिशत मूल्यानुसार ।
32. मोनेजाइट	एक सौ पच्चीस रूपए प्रति टन ।
33. निकल	उत्पादित अयरक में अंतर्विष्ट निकल धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय निकल धातु मूल्य का 0.12 प्रतिशत ।
34. ओकर	पन्द्रह रूपए प्रति टन ।
35. पाइराइट्स	विक्रय मूल्य का दो प्रतिशत मूल्यानुसार ।

36. पाइरोफिलाइट	विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार ।
37. क्वार्टज, सिलिका बालू, सांचा बालू और क्वार्टजाइट	बीस रुपए प्रति टन ।
38. रूबी	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
39. भर्गई हेतु बालू	**
40. सैलेनाइट	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
41. सिलीमेनाइट	विक्रय मूल्य का ढाई प्रतिशत मूल्यानुसार ।
42. चांदी	
(क) उपोत्पाद	वास्तविक रूप से उत्पादित चांदी धातु उपोत्पाद पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय मूल्य का पांच प्रतिशत ।
(ख) प्राथमिक चांदी	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट चांदी धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय चांदी धातु मूल्य का पांच प्रतिशत ।
43. स्लेट	पैंतालीस रुपए प्रति टन ।
44. टाल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन	विक्रय मूल्य का पंद्रह प्रतिशत मूल्यानुसार
45.टिन	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट टिन धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय टिन धातु मूल्य का पांच प्रतिशत ।
46. टंगस्टन	प्रति टन डब्ल्यू ओ 3 के प्रति प्रतिशत अयस्क पर बीस रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर ।
47.यूरेनियम	पांच रुपए (0.05 प्रतिशत मात्रा यूओ 8 युक्त शुष्क अयस्क के लिए, जिसमें आनुपातिक आधार पर 0.01 प्रतिशत की कमी/ बढ़ोत्तरी होने पर 1.50 रुपए प्रति मीट्रिक टन कमी/बढ़ोत्तरी होगी ।)
48. वर्मिक्यूलाइट	विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत मूल्यानुसार ।
49. वाल्लास्टोनाइट	विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।

50. जरस्ता

उत्पादित अयरक में अंतर्विष्ट जरस्ता धातु पर प्रभार्य लंदन धातु विनिमय जरस्ता धातु मूल्य का 6.6 प्रतिशत मूल्यानुसार ।

51. सभी अन्य खनिज जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं हैं । [ क्ले (अन्य), चाक, डायस्पोर, डुनाइट, फैलसाइट, फुस्काइट, क्वार्टजाइट, जस्पर, पेरेलाइट, रॉक साल्ट, शेल पाइरोक्सेनाइट आदि ]

विक्रय मूल्य का दस प्रतिशत मूल्यानुसार ।

\* कोयला जिसमें लिग्नाइट भी सम्मिलित है, से संबंधित मद स.11 की बाबत भारत सरकार के कोयला विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 572 (अ.) तारीख 16 अगस्त, 2002 द्वारा यथापुनरीक्षित स्वामिस्व की दरें तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि कोयला विभाग द्वारा पृथक अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती ।

\*\* भराई हेतु बालू से संबंधित मद सं. 39 की बाबत, अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997 द्वारा यथा संशोधित स्वामिस्व की दरें तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि कोयला विभाग द्वारा एक पृथक अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षित नहीं की जाती ।

टिप्पण : मद संख्या 11 के सामने विनिर्दिष्ट खनिज को छोड़कर, अन्य खनिजों की बाबत पश्चिम बंगाल राज्य के लिए स्वामिस्व दरें वही रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458 (अ) तारीख, 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट हैं ।

[ फा० सं० 3/1/2002-खान-6 ]

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा पूर्व में संशोधित किया गया था :

1. सा.का. नि. सं. 175 (अ) तारीख 31 मार्च, 1975
2. सा.का. नि. सं. 407 (अ) तारीख 14 जुलाई, 1975
3. सा.का. नि. सं. 584 (अ) तारीख 13 दिसम्बर, 1975
4. सा.का. नि. सं. 321 (अ) तारीख 12 जून, 1978
5. सा.का. नि. सं. 2 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1979
6. सा.का. नि. सं. 67 (अ) तारीख 13 फरवरी, 1979
7. सा.का. नि. सं. 63 (अ) तारीख 12 फरवरी, 1981
8. सा.का. नि. सं. 449 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1981
9. सा.का. नि. सं. 458 (अ) तारीख 5 मई, 1987

10. सा.का. नि. सं. 856 (अ) तारीख 14 अक्टूबर, 1987
11. सा.का. नि. सं. 516 (अ) तारीख 1 अगस्त, 1991
12. सा.का. नि. सं. 100 (अ) तारीख 17 फरवरी, 1992
13. सा.का. नि. सं. 748 (अ) तारीख 11 अक्टूबर, 1994
14. सा.का. नि. सं. 27 (अ) तारीख 13 जनवरी, 1995
15. सा.का. नि. सं. 214 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997
16. सा.का. नि. सं. 713 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2000
17. सा.का. नि. सं. 187 (अ) तारीख 15 मार्च, 2001
18. सा.का. नि. सं. 527 (अ) तारीख 16 अगस्त, 2002

## MINISTRY OF COAL AND MINES

(Department of Mines)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

**G. S. R. 677(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes with immediate effect, the following further amendments to the Second Schedule to the said Act, namely :-

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

### "THE SECOND SCHEDULE (See section 9)

**RATES OF ROYALTY IN RESPECT OF MINERALS AT ITEM 1 TO 10 , 12 TO 38 AND 40 TO 51 APPLICABLE IN ALL STATES AND UNION TERRITORIES EXCEPT THE STATE OF WEST BENGAL.**

1. Agate	Ten percent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
2. Apatite and Rock Phosphate	
( i ) Apatite	Five percent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(ii) Rock Phosphate	
(a) above 25 per cent $P_2O_5$	Eleven per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis .
(b) upto 25 per cent $P_2O_5$	Five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis .
3. Asbestos	
(a) Chrysotile	Eight hundred rupees per tonne.
(b) Amphibole	Forty five rupees per tonne.

4. Barytes                        Five and half per cent of sale price on *ad valorem* basis.

5. Bauxite and Laterite                 (a) Zero point four zero percent of London Metal Exchange Aluminium metal price chargeable on the contained aluminium metal in ore produced for those despatched for use in alumina and aluminium metal extraction.  
(b) Twenty percent of sale price on *ad valorem* basis for those despatched for use other than alumina and aluminium metal extraction and for export.

6. Brown Ilmenite  
(Leucoxene),  
Ilmenite, Rutile and Zircon                 Two per cent of sale price on *ad valorem* basis.

7. Cadmium                        Ten per cent of sale price on *ad valorem* basis.

8. Calcite                        Fifteen per cent of sale price on *ad valorem* basis.

9. China clay/Kaolin :  
(including ball clay, white shale and white clay)

(a) Crude                        Twenty three rupees per tonne.

(b) Processed  
(including washed)                Eighty five rupees per tonne.

10. Chromite                       Seven and half per cent of sale price on *ad valorem* basis.

11. Coal (including  
Lignite)

\*

12. Copper                       Three point two per cent of London Metal Exchange Copper metal price chargeable on the contained copper metal in ore produced.

13. Corundum                       Ten per cent of sale price on *ad valorem* basis.

14. Diamond	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
15. Dolomite	Forty five rupees per tonne.
16. Felspar	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
17. Fire Clay (including plastic, pipe, lithomargic and natural pozzolanic clay)	Twelve per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
18. Fluorspar (also called fluorite)	Five per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
19. Garnet :	
(a) Abrasive	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(b) Gem	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
20. Gold :	
(a) Primary	One and half per cent of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the contained gold metal in ore produced.
(b) By-product gold	Two and half per cent of London Bullion Market Association Price (commonly referred to as "London Price") chargeable on the by product gold metal actually produced.
21. Graphite	
(a) with 80 per cent or more fixed carbon	Two hundred and twenty five rupees per tonne.
(b) with 40 per cent or more fixed carbon but less than 80 percent fixed carbon	One hundred and thirty rupees per tonne.

(c) with less than 40 percent fixed carbon      Fifty rupees per tonne.

22. Gypsum      Twenty per cent of sale price on *ad valorem* basis.

23. Iron ore:

(i) Lumps:

(a) with 65 percent Fe content or more      Twenty seven rupees per tonne.

(b) with 62 percent Fe content or more but less than 65 per cent Fe content      Sixteen rupees per tonne.

(c) with less than 62 per cent Fe content      Eleven rupees per tonne.

(ii) Fines:

(a) With 65 per cent Fe content or more      Nineteen rupees per tonne .

(b) With 62 per cent Fe content or more but less than 65 per cent Fe content      Eleven rupees per tonne.

(c) with less than 62 per cent Fe content      Eight rupees per tonne .

(iii) Concentrates prepared by beneficiation and/or concentration of low grade ore containing 40 per cent Fe or less	Four rupees per tonne.
24. Kyanite	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
25. Lead	Five per cent of London Metal Exchange lead metal price chargeable on the contained lead metal in ore produced.
26. Limestone	
(a) L.D. Grade (less than one and half per cent silica content)	Fifty five rupees per tonne.
(b) Others	Forty five rupees per tonne.
27. Lime Kankar	Forty five rupees per tonne.
28. Limeshell	Forty five rupees per tonne.
29. Magnesite	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
30. Manganese Ore	
(a) Ore of all grades	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
(b) Concentrates	One per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
31. Crude Mica, Waste Mica and Scrap Mica	Four per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
32. Monazite	One hundred and twenty five rupees per tonne.
33. Nickel	Zero point one two percent of London Metal Exchange nickel metal price chargeable on contained nickel metal in ore produced.

34. Ochre	Fifteen rupees per tonne.
35. Pyrites	Two per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
36. Pyrophyllite	Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
37. Quartz, Silica sand, Moulding sand and Quartzite	Twenty rupees per tonne.
38. Ruby	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
39. Sand for stowing	**
40. Selenite	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
41. Sillimanite	Two and half per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
42. Silver :	
a) By -product	Five per cent of London Metal Exchange Price chargeable on by product silver metal actually produced.
(b) Primary silver	Five per cent of London Metal Exchange silver metal price chargeable on the contained silver metal in ore produced.
43. Slate	Forty five rupees per tonne.
44. Talc, Steatite and Soapstone	Fifteen per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
45. Tin	Five per cent of London Metal Exchange tin metal price chargeable on the contained tin metal in ore produced.
46. Tungsten	Twenty rupees per unit per cent of contained WO <sub>3</sub> per tonne of ore and on pro rata basis.

47. Uranium	Five rupees (for dry ore with $U_3O_8$ content of zero point zero five per cent with pro rata increase/ decrease at the rate of one rupee and fifty paise per metric tonne of ore for zero point zero one per cent increase/decrease ).
48. Vermiculite	Three per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
49. Wollastonite	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.
50. Zinc	Six point six per cent of London Metal Exchange zinc metal price on <i>ad valorem</i> basis chargeable on contained zinc metal in ore produced.
51. All other minerals not here-in-before specified[Clay (Others), Chalk, Diaspore, Dunite, Felsite, Fuschite, Quartzite, Jasper, Perlite, Rock Salt, Shale, Pyroxenite, etc.]	Ten per cent of sale price on <i>ad valorem</i> basis.

\*. Rates of royalty in respect of item No. 11 relating to Coal including Lignite as revised vide notification number G.S.R. 572 (E), dated the 16th August, 2002, of the Government of India in the Department of Coal shall remain in force until revised through a separate notification by the Department of Coal.

\*\*. Rates of royalty in respect of item No.39 relating to Sand For Stowing as revised vide notification number G.S.R. 214(E), dated the 11th April, 1997, will remain in force until revised through a separate notification by the Department of Coal.

**Note :** The rates of royalty for the State of West Bengal in respect of the minerals except the mineral specified against item No.11 shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) number G.S.R. 458 (E), dated the 5th May, 1987.”.

**Note :** The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation)Act, 1957 was amended earlier vide notification numbers:-

1. GSR No. 175(E) dated 31st March, 1975
2. GSR No. 407(E) dated 14th July, 1975.
3. GSR No. 584(E) dated 13th December, 1975.
4. GSR No. 321(E) dated 12th June, 1978.
5. GSR No. 2(E) dated 1st January, 1979.
6. GSR No. 67(E) dated 13th February, 1979.
7. GSR No. 63(E) dated 12th February, 1981.
8. GSR No. 449(E) dated 23rd July, 1981.
9. GSR No. 458(E) dated 5th May, 1987.
10. GSR No. 856(E) dated 14th October, 1987.
11. GSR No. 516(E) dated 1st August, 1991.
12. GSR No. 100(E) dated 17th February, 1992.
13. GSR No. 748(E) dated 11th October, 1994.
14. GSR No. 27(E) dated 13th January, 1995.
15. GSR No. 214(E) dated 11th April, 1997.
16. GSR No. 713(E) dated 12th September 2000.
17. GSR No. 187(E) dated 15th March, 2001.
18. GSR No. 572(E) dated 16th August, 2002.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

सांकेतिका 678(अ) केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन ) 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

खान और खनिज (विकास और विनियमन ) 1957 की तृतीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"तृतीय अनुसूची

(धारा 9 के देखिए )

### अनिवार्य भाटक की दरें

( पश्चिमी बंगाल राज्य के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू )

1. कम मूल्य के खनिजों हेतु दिए गए पट्टों पर लागू अनिवार्य भाटक की दरें निम्नानुसार हैं :-

प्रति वर्ष प्रति हैक्टेयर अनिवार्य भाटक की दरें, रूपयों में

पट्टे के पहले दो वर्ष	तीसरे वर्ष और आगे
100/-	400/-

2. मध्यम मूल्य के खनिज (जो) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में उपर्युक्त (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर का दो गुना ।
3. उच्च मूल्य के खनिज (जो) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में उपर्युक्त (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों का तिगुना ।
4. बहुमूल्य धातु और पत्थरों (रत्नों) के लिए स्वीकृत पट्टे के मामले में उपर्युक्त (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों का चौगुना ।

**टिप्पणी -** इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए

- 1.क) "बहुमूल्य धातु और पत्थरों" से स्वर्ण, चांदी, हीरा, माणिक्य, सैफायर और इमरैल्ड, एलेक्जैण्डराइट और ओपल अभिप्रेत हैं ।
- ख) "उच्च मूल्य खनिज" से अर्ध कीमती पत्थर (रत्न) ( अगेट, जेम, गारनेट ) कोरण्डम, तांबा, सीसा, जस्ता, ऐस्बेस्टॉस (क्रोइसोटाइल किस्म) और अश्वक अभिप्रेत हैं ।
- ग) "मध्यम मूल्य खनिज" से क्रोमाइट, मैग्नीज अयस्क, क्यानाइट, सिलिमेनाइट, वर्मिकुलाइट, मैग्नेसाइट, वाल्लास्टोनाइट, पेरलाइट, डायस्पोर, ऐपेटाइट, रॉक फास्फैट, फ्लोराइट, (फ्लुओरस्पार) और बेराइट्स अभिप्रेत हैं ।
- घ) "कम मूल्य खनिज" से बहुमूल्य धातुओं और पत्थर (रत्न), उच्च मूल्य खनिजों और मध्यम मूल्य खनिजों से भिन्न खनिज अभिप्रेत हैं ।

2. पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए अनिवार्य भाटक की दरें वहीं रहेंगी जो भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458 (अ) तारीख 5 मई, 1987 में विनिर्दिष्ट हैं । ।

[फा० सं० 3/1/2002-खान-6]

प्रशांत मेहता, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व में संशोधित किया गया था ।

1. स.का.नि- सं. 458 (अ) तारीख 5 मई, 1987
2. स.का.नि- सं. 856 (अ) तारीख 14 अक्टूबर, 1987
3. स.का.नि- सं. 214 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 1997
4. स.का.नि- सं. 714 (अ) तारीख 12 सितम्बर, 2000

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

**G. S. R. 678(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes with immediate effect, the following amendments to the Third Schedule to the said Act, namely :-

In the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, for the Third Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

### “THE THIRD SCHEDULE

(See section 9A)

#### RATES OF DEAD RENT

(APPLICABLE FOR ALL STATES AND UNION TERRITORIES EXCEPT THE STATE OF WEST BENGAL)

1. Rate of dead rent applicable to the leases granted for low value minerals are as under:

#### Rates of Dead Rent in Rupees per Hectare Per annum

First two years of lease	3rd year onwards
100/-	400/-

2. Two times the rate specified under (1) above in case of lease granted for medium value mineral(s).
3. Three times the rates specified under (1) above in case of lease granted for high value mineral(s).
4. Four times the rates specified under (1) above in case of lease granted for precious metals and stones.

**Note:** 1. For the purpose of this notification,-

- (a) "**precious metals and stones**" means gold, silver, diamond, ruby, sapphire and emerald, alexandrite and opal;
- (b). "**high value minerals**" means semi-precious stones (agate, gem garnet), corundum, copper, lead, zinc, asbestos (chrysotile variety) and mica;

- (c) "**medium value minerals**" means chromite, manganese ore, kyanite, sillimanite, vermiculite, magnesite, wollastonite, perlite, diaspore, apatite, rock phosphate, fluorite (fluorspar) and barytes ;
  - (d) "**low value minerals**" means minerals other than precious metals and stones, high value minerals and medium value minerals;
2. The rates of dead rent for the State of West Bengal shall remain the same as specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R. 458(E), dated the 5th May, 1987.".

[F. No. 3/1/2002-M-VI]

PRASHANT MEHTA, Jt. Secy.

**Note :** The Third Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 was amended earlier, vide notification numbers:-

1. GSR No. 458(E), dated 5th May, 1987.
2. GSR No. 856(E), dated 14th October, 1987.
3. GSR No. 214(E), dated 11th April, 1997.
4. GSR No. 714(E), dated 12th September, 2000.